न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

मुकदमा नम्बर 51/2019 आदेश दिनांक 14.10.2019

1. पूर्णाराम 2. लालूराम 3 हेतराम पुत्रगण रूपाराम जाट निवासीगण श्री डूँगरगढ
------प्रार्थीगण

बनाम

1 जेठाराम 2 रामप्यारी 3 माली पुत्र पुत्रियां रूपाराम 4 फूसी पत्नी रूपाराम 5 घमण्डीराम 6 डूंगरराम 7 पनाराम पुत्रगण पेमाराम 8 ओमप्रकाश पुत्र खींवकरण 9 शांतिदेवी पत्नी खींवकरण जाति जाट निवासीगण श्री डूँगरगढ 10 स्टेट जरिये तहसीलदार, नोखा 11 उप पंजीयक नोखा
------अप्रार्थीगण

उपस्थितः–

1. श्री राजूराम बाना अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री के.के. पुरोहित अप्रार्थीगण की ओर से ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

यह प्रार्थना पत्र पूर्णाराम वगैरहा ने जरिये अधिवक्ता इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 156 तादादी 22.4000, खसरा नम्बर 333 तादादी 9.5200 हैक्टयर रोही लाधडिया, खसरा 373 तादादी 13.5900 हैक्टयर, खसरा नम्बर 421 तादादी 1.3500 हैक्टयर, खसरा नम्बर 430 तादादी 1.9000 हैक्टयर, खसरा नम्बर 431 तादादी 0.1000 हैक्टयर रोही मौजा श्री डूँगरगढ में स्थित है जिसमें आपसी पारिवारिक विभाजन में वादीगण के 3/12 हिस्सा पांती में आया हुआ है । प्रार्थीगण ने अपने कब्जे काश्त की भूमि पर शुरू सेही अपने हिस्से पांती के अनुसार काश्त चला आ रहा है । वादगत खेतों में 3/12 हिस्से पर वादीगण का व 1/12 हिस्से प्रतिवादीगण संख्या 1 एवं 1/3 हिस्से पर प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 का तथा 1/3 हिस्से पर प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 9 का कब्जा काश्त शांतिपूर्वक चला आ रहा है । प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी हिस्सा की कब्जा काश्त की भूमि पर सुधार कार्य करवाकर उपजाऊ बना रखी है तथा पट्टी तार की सीमा कायम कर रखी है परन्तु भूमि का विधिवत रूप से विभाजन नहीं होने के कारण प्रार्थीगण को अपने हिस्से की कृषि भूमि से संबंधित हर तरह कार्य करवाने एवं बैंक ऋण लेने में कई तरीके की कठिनाई आती है । प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से वादगत खेत का विभाजन बाबत निवेदन किया तो अप्रार्थीगण टालमटोल प्रत्युतर देते रहे परन्तु वादगत भूमि का विभाजन विधिवत रूप से आज तक नहीं करवाया इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के विरूद्ध विभाजन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है । प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से दिनांक 15.1.2019 को वादगत खेत का विभाजन करवाने के लिए कहा और कहा कि हम अपने इन खेतों का विभाजन करवा लेते है ताकि कृषि कनेक्शन लेने एवं ऋण लेने में परेशानियों का सामना न करना पडे । तब अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की बात को मानने से इंकार कर दिया तथा धमकियां दी कि वादगत खेत से हम तुम्हें बेदखल करदेंगे एवं इस खेत में से तुम्हें 1 बिस्वा भी भूमि नहीं देंगे । वादगत खेत प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का संयुक्त खातेदारी के होने व अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 15.1.2019 को कहने पर भी सहमति स्वरूप विभाजन करवाने की इंकारी से प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के विरूद्ध वादाधार व वाद हेतु हासिल है ।

अधिकारी
ढ़ (बीकानेर)

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी फरमावें कि वा वादगत खेत खसरा नम्बर 156 तादादी 22.4000, खसरा नम्बर 333 तादादी 9.5200 हैक्टयर रोही लाधडिया

Scanned by CamScanner

खसरा 373 तादादी 13.5900 हैक्टयर, खसरा नम्बर 421 तादादी 1.3500 हैक्टयर, खसरा नम्बर 430 तादादी 1.9000 हैक्टयर, खसरा नम्बर 431 तादादी 0.1000 हैक्टयर रोही मौजा श्री डूँगरगढ में से प्रार्थीगण को बेदखल न करें मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे किसी प्रकार की हस्तान्तरण बैय मुन्तकिल की कार्यवाही नहीं करें जिससे कि प्रार्थीगण के हक अधिकारों पर कुठाराघात होता हो तथा ऐसा कोई कृत्य या अकृत्य नहीं करें जिससे प्रार्थीगण के वैध अधिकारों पर वितरीत असर पडता हो तथा दावे के निस्तारण तक वादगत रकबा के मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान करें ।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्राथी संख्या 1 की तरफ से श्री के.के. पुरोहित अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि 156 तादादी 22.4000, खसरा नम्बर 333 तादादी 9.5200 हैक्टयर रोही लाधडिया, खसरा 373 तादादी 13.5900 हैक्टयर, खसरा नम्बर 421 तादादी 1.3500 हैक्टयर, खसरा नम्बर 430 तादादी 1.9000 हैक्टयर, खसरा नम्बर 431 तादादी 0.1000 हैक्टयर रोही मौजा श्री डूँगरगढ की कृषि भूमि में खातेदारान द्वारा आपसी सहमति से दिनांक 5.4.2019 को तहसीलदार, श्री डूँगरगढ के समक्ष विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिसके अनुसरण में माननीय तहसीलदार महोदय श्री डूँगरगढ ने दिनाक 9.4.2019 को खाता विभाजन का आदेश किया गया । जिनकी अलग अलग जमाबन्दी कायम की चुकी है व नक्शा अक्श में भी तरमीम की जा चुकी है । प्रार्थी ने रोही मौजा श्री डूंगरगढ की पुरानी बिना सत्यापित जमाबंदी लगाकर न्यायालय को मुगालते में रखकर प्रार्थना पत्र दिनांक 2.8.2019 पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने खसरा नम्बर 156 तादादी 22.40 हैक्टयर रोही लखासर व खसरा नम्बर 133 तादादी 9.52 हैक्टयर रोही मौजा लाधडिया के विभाजन बाबत कभी भी इंकार नहीं किया है । अप्रार्थी संख्या 1 हमेशा से ही विभाजन हेतु तैयार व रजामंद रहा है । प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 हमेशा से ही विभाजन हेतु तैयार व रजामंद रहा है । प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 को नुकसान कारित करने से आशय से प्रार्थना पत्र पेश किया है । प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है न ही सुविधा एवं संतलन का सिद्धांत प्रार्थीगण के पक्ष में लागू है । अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 द्वारा अपनी सहखातेदारी कृषि भूमि में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पूर्व में ही रजिस्टर्ड परित्याग दिनांक 26.5.2014 को कर दिया था । प्रार्थीगण ने गलत रूप से पक्षकार संयोजित किया है । अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाये जाने का आदेश फरमावें ।

गण ने अपने जबाब में प्रार्थना पत्र में अंकित सभी तथ्यों को अस्वीकार कर अवगत कराया है कि पारिवारिक व्यवस्था के तहत अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने खेत खसरा नम्बर 42 तादादी 22.61 हैक्टयर वाके रोही राजेडू में से 5.94 हैक्टयर भूमि मध्य–पूर्वी तरफ की अप्रार्थी संख्या 3 को जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 21.12.2009 को तथा खसरा नम्बर 309 तादादी 2.53 हैक्टयर रोही राजेडू अप्रार्थी संख्या 3 को हिस्से पांती में दे दी है । इसी प्रकार खसरा नम्बर 42 मी मध्य पश्चिमी तरफ की 8.47 हैक्टयर भूमि अप्रार्थी संख्या 2 को जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 21.12.2009 को दी है । जब प्रार्थी संख्या 1 को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पारिवारिक व्यवस्था के तहत जितनी जमीन अप्राथी। सख्या 2 व 3 को दी गई है उसी अनुसार प्रार्थी संख्या 1 को जमीन खरीद कर दे दी गई तो प्रार्थी संख्या 1 अब अप्रार्थी संख्या 1 के जीवनकाल में उनके खातेदारी खेतों में कोई हक हिस्सा नहीं रखता है । प्रार्थी संख्या 2 अपने पिता यानि प्रार्थी संख्या 1 के हक हिस्से तक ही मांग कर सकता है । प्रार्थी संख्या 2 को अप्रार्थी संख्या 1 के हक हिस्से की भूमि में

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरगढ (बीकानेर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थी संख्या 1 के जीवनकाल में हक जताने का कोई विधिक व कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे ।

स्टेट की तरफ से जबाब पेश हुआ कि दिनांक 9.4.2019 के द्वारा उक्त खसरों का विभाजन हो चुका है । जिसके अनुसार नये खसरा नम्बर 373 मीन, 430 मीन 431 मीन, 421 बन चुके है । जिसका नामान्तरकरण संख्या 643 दिनांक 11.4.2019 को विभाजन नामान्तकरण स्वीकृत होकर ऑनलाईन हो चुका है ।

बहस उभय पक्ष सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया ।

आदेश

प्रार्थी ने खसरा नम्बर 373, 430, 421, 431 रोही श्री डूँगरगढ तथा खसरा नम्बर 333 रोही लाधडिया की जमाबंदी न्यायालय में प्रस्तुत कर अंतरिम निषेधाज्ञा प्राप्त की थी । जबकि वास्तव में दिनांक 9.4.2019 को उक्त खसरों का खाता विभाजन होकर उक्त खसरों के नये खसरा नम्बर 373 मीन, 430 मीन 431 मीन, 421 बन गये थे । जिसकी जमाबंदी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न कर पुरानी जमाबंदी पर ही न्यायालय से अंतरिम निषेधाज्ञा प्राप्त की थी । प्रार्थी न्यायालय में क्लीन हैण्ड से न अकर गलत तथ्यों के आधार पर अंतरिम निषेधाज्ञा प्राप्त की है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य होने के कारण अस्वीकार किया जाता है ।

पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों । आदेश आज दिनांक 14.10.2019 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर जारी किया गया ।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूँगरगढ़ (बीकानेर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Nyol
Date: 2019.11.15 16:38:45 IST
Reason: SelfAttested
Location: